

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

:: कार्यालय आदेश ::

सं०-०७ / स्था०-२९-०१ / २०२३, परि०

पटना, दिनांक-

बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, १९९२ के नियम-२५९ (९) में परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत चलन्त दस्ता सिपाही का कार्य निर्धारित है। विभिन्न मार्गों, सुदूर क्षेत्रों में वाहनों के अवैध परिचालन पर रोक लगाने, वाहनों के ओभरलोडिंग की जाँच, यातायात नियमों को पालन कराने, सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य में चलन्त दस्ता सिपाही संलग्न रहते हैं। उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन के दौरान चलन्त दस्ता सिपाहियों की ड्यूटी रात्रि में भी वैसे स्थानों पर निर्वहन की जाती है, जहाँ भोजनादि की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। परन्तु, इनके द्वारा सरकारी कर्तव्य के निर्वहन किया जाता है।

२. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप बिहार पुलिस सिपाहियों एवं परिवहन विभाग के चलन्त दस्ता सिपाहियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-८०४५, दिनांक-११.१०.२०१७ के आलोक में राशन मनी भत्ता ₹ ३०००/- प्रतिमाह अनुमान्यता के संदर्भ में वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है।

वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या-८०४५, दिनांक-११.१०.२०१७ के आलोक में परिवहन विभाग के चलन्त दस्ता सिपाहियों को ₹ ३०००/- (तीन हजार रुपये) प्रतिमाह राशन मनी भत्ता आदेश निर्गमन की तिथि से अनुमान्य किया जाता है।

३. उक्त राशि का भुगतान स्थापना भारित कार्यालय (वेतन भुगतान करने वाले कार्यालय) द्वारा इनके वेतन के साथ प्रतिमाह किया जायेगा।

४. यह भत्ता ३० दिनों से अधिक अवधि तक लगातार अवकाश, प्रशिक्षण अथवा भ्रमण पर रहने की स्थिति में देय नहीं होगा।

५. उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार/अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- ५२९१

पटना, दिनांक- २.६.२०२६

प्रतिलिपि- सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/बजट शाखा/लेखा शाखा/सभी चलन्त दस्ता सिपाही, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

:: कार्यालय आदेश ::

सं०-07/स्था०-29-01/2023, परि०

पटना, दिनांक-

बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-259 (9) में परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत चलन्त दस्ता सिपाही का कार्य निर्धारित है। विभिन्न मार्गों, सुदूर क्षेत्रों में वाहनों के अवैध परिचालन पर रोक लगाने, वाहनों के ओभरलोडिंग की जाँच, यातायात नियमों को पालन कराने, सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य में चलन्त दस्ता सिपाही संलग्न रहते हैं। उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन के दौरान चलन्त दस्ता सिपाहियों की ड्यूटी रात्रि में भी वैसे स्थानों पर निर्वहन की जाती है, जहाँ भोजनादि की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। परन्तु, इनके द्वारा सरकारी कर्तव्य के निर्वहन किया जाता है।

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप बिहार पुलिस सिपाहियों एवं परिवहन विभाग के चलन्त दस्ता सिपाहियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8045, दिनांक-11.10.2017 के आलोक में राशन मनी भत्ता ₹ 3000/- प्रतिमाह अनुमान्यता के संदर्भ में वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है।

वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8045, दिनांक-11.10.2017 के आलोक में परिवहन विभाग के चलन्त दस्ता सिपाहियों को ₹ 3000/- (तीन हजार रुपये) प्रतिमाह राशन मनी भत्ता आदेश निर्गमन की तिथि से अनुमान्य किया जाता है।

3. उक्त राशि का भुगतान स्थापना भारित कार्यालय (वेतन भुगतान करने वाले कार्यालय) द्वारा इनके वेतन के साथ प्रतिमाह किया जायेगा।

4. यह भत्ता 30 दिनों से अधिक अवधि तक लगातार अवकाश, प्रशिक्षण अथवा भ्रमण पर रहने की स्थिति में देय नहीं होगा।

5. उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 2.6.2026

ज्ञापांक- 4291

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार/अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.6.26

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।